समक्ष माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक निगरानी : 3741-पीबीआर/14
पारित आदेश दिनांक 04-10-2016

1. अशोक कुमार जागड़े आत्मज श्री कुंवर जागड़े
2. मनोहर लाल बाथरी आत्मज श्री छोटे लाल बाथरी
दोनो निवासी 175 नगर लाऊ खेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल ....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमति शाहीन आसिफ पत्नी स्व. श्री फ़ारूख अमान
निवासी ई-5 कहकशां अपार्टमेंट फेस-2 कोहेफ़िजा भोपाल मध्यप्रदेश ....अनावेदिका

आवेदन पत्र अतंगर्त धारा 32 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के आधार पर आदेश दिनांक 04-10-2016 में त्रुटि सुधार बाबत

अनावेदिका की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :-

1. यह कि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04-10-2016 को पारित अंतिम आदेश में टंकण त्रुटिवश टाईटिल में आवेदक एवं अनावेदिका के अधिवक्ता के नाम में एवं आदेश के पृष्ठ क्रमांक 3 के चरण क्रमांक 4 में यह लेखबद्ध किया गया है कि अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उक्त त्रुटियां न्यायहित में सुधार किया जाना अति आवश्यक है।

2. यह कि त्रुटियां निम्नानुसार है :-

   टाईटल त्रुटि - श्री राजेश ठाकुर, अभिभाषक - आवेदकगण
   सुधार / संशोधन - श्री संजीव शर्मा, अभिभाषक - आवेदकगण

   टाईटल त्रुटि - श्री सी.एम विश्वकर्मा, अभिभाषक - अनावेदिका
   सुधार / संशोधन - श्री सैय्यद मुजददि्द हसन, अभिभाषक - अनावेदिका

आदेश के पृष्ठ क्रमांक 3 चरण क्रमांक 4 में टंकण त्रुटि :-

''अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक को 10 दिवस मं लिखत तर्क प्रस्तुत करने थे परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये। निवेदन है कि अनावेदिका अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष लिखित तर्क प्रस्तुत कर आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर भी किये गये थे इस कारण से उक्त चरण में निम्नानुसार **त्रुटि सुधार** किया जाना आवश्यक है। उक्त चरण में **''अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये''** सुधार किया जाना चाहिये।

निरंतर..........2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक मिसलेनियस 9224–पीबीआर /16 जिला–भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–11–16	आवेदकगण की ओर से श्री सैय्यद मुजददिद हसन, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा बतलाया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–2016 में टंकण त्रुटि के कारण श्री राजेश ठाकुर, अभिभाषक–आवेदकगण टंकित हो गया है, जबकि श्री संजीव शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण अंकित होना चाहिये । इसी प्रकार श्री सी.एम. विश्वकर्मा, अभिभाषक–अनावेदिका टंकित हो गया है, जबकि श्री सैय्यद मुजददिद हसन, अभिभाषक–अनावेदिका टंकित होना चाहिये। इसी आदेश के पृष्ठ 3 के पैराग्राफ 4 में अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक को 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये, अंकित किया गया है, जबकि उसके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये, अतः आदेश के पृष्ठ 3 में पेराग्राफ 4 संशोधित कर अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये, टंकित किया जाये । 2/ उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है । श्री राजेश ठाकुर, अभिभाषक–आवेदकगण के साथ श्री संजीव शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण एवं श्री सी.एम.विश्वकर्मा, अभिभाषक–अनावेदिका के साथ श्री सैय्यद मुजददिद हसन, अभिभाषक–अनावेदिका पढ़ा जाये । इसी प्रकार आदेश के पृष्ठ 3 के पैराग्राफ 4 में अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक को 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये के स्थान पर अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये, पढ़ा जाये । यह आदेशिका मूल आदेश का अॅग होगी, अतः उसके साथ संलग्न की जाये । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	